रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-98/2022/1297/22-2-2022-17(185)/2018

लखनऊ: दिनांक: 13 जुलाई, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बागपत में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर (बन्दी संख्या-149/2016) पुत्र श्री सुन्दरलाल, जो-ग्राम मतनदनगर, थाना-पिलाना, हाल-बालैनी जनपद-बागपत का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-39/1978 में भा0द0वि0 की धारा-307/34, 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-5, मेरठ के आदेश दिनांक 31.10.1981 द्वारा दोषमुक्त किया गया। जिसके विरूद्ध गवरमेन्ट अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च नयायालय के आदेश दिनांक 12.07.2005 एवं 03.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 06.03.2014 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनांक 20.12.2021 तक 08 वर्ष 06 माह 29 दिन की अपरिहार सजा 11 वर्ष 00 माह 18 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किये जाने तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बागपत के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-98/2022/1297(1)/22-2-2022 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।
3- पुलिस अधीक्षक बागपत।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, बागपत।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री(स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in